

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)(डी-179/2023)/अलेसे-III/7623 दिनांक :- 19/09/2025

कार्यालय आदेश

श्री धनराज सिंह नाथावत, कनिष्ठ लेखाकार (रो.नं.- 759080) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 1815 दिनांक 30.07.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के उपरान्त राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार (अवैतनिक) असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 05.05.2025 से दिनांक 18.06.2025 तक (कुल 45 दिवस)

उक्त 45 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री धनराज सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जावेगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)(डी-179/2023)/अलेसे-III/7623 दिनांक :- 19/09/2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर । 7623
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 4 श्री धनराज सिंह नाथावत, कनिष्ठ लेखाकार (रो.नं.- 759080) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
- 5 पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)